Crim-I

FORM No III
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराडा जिला – उदयपुर

बजरिये श्री दिनेशचन्द धाकड आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 16/2014

उनवान

1. श्री हीरा पिता वाला डांगी निवासी बण्डोली, तहसील सराडा जिला उदयपुर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री दला पिता वाला डांगी निवासी बण्डोली तहसील सराडा जिला उदयपुर।

–विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

::: निर्णय :::

दिनांकः 13.12.2019

उपस्थितिः–

1. श्री भीमराज पटेल अभिभाषक प्रार्थीगण।

संक्षेपतः प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने एक वाद पत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है तथा निवेदन किया है कि मौजा बण्डोली पटवार हल्का थाणा तहसील सराडा खाता सं. नया 102 संवत् 2068–71 कुल किता 15 कुल रकबा 2.32 हेक्टेयर में प्रार्थी एवं विपक्षीगण सहखातेदार है। प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। विपक्षी प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से पर शान्तिपूर्वक काश्त नहीं करने देता है, प्रार्थी ने विपक्षी को दिनांक 01.05.2014 को बंटवारे हेतु कहा तो उसने मना कर दिया और धमकी दी कि तेरी जमीन मैं ही काश्त करूंगा। इसलिए प्रार्थी को मजबूर होकर विपक्षी के विरूद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश करना पडा। प्रार्थी ने प्रार्थना कि मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी को हिस्से की

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

FORM No III
(नियम 26)

आराजी में शान्तिपूर्वक काश्त करने दे और किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 13.12.2019 को विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं। विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अतः प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विपक्षी को पाबन्द किया जाता है कि मौजा बण्डोली पटवार हल्का थाणा तहसील सराडा खाता सं. नया 102 संवत् 2068—71 कुल किता 15 कुल रकबा 2.32 हेक्टेयर आराजी में प्रार्थी के हिस्से तक की आराजी पर मौके की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेशचन्द्र धाकड)
उपखण्ड अधिकारी
सराडा, (उदयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
सराड़ा, उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी
सराडा

13/12/19 पत्रा. पेश हुई वकील प्रार्थी उप. विपक्षी बाबजूद सूचना के उप. नहीं अतः विपक्षी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थनापत्र पर वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर श्रा. प्र. अ. किया गया। पत्रा. फैसल शुमार होकर नकलें कार्य की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सराडा जिला–उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner